

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर-492002

15 MAR 2024

पत्र क्रमांक / 773 / 393 / 2024 / 12

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
जिला.....
छत्तीसगढ़

विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को रेत रायल्टी छूट के संबंध में।

—00—

छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम-3 में गौण खनिज, साधारण मिट्टी या साधारण रेत निकालने एवं उपयोग किये जाने के संबंध में आवश्यक छूट के प्रावधान दिये गये हैं।

2/ निर्देशानुसार लेख है कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत स्वीकृत आवास निर्माण हेतु हितग्राही को स्वयं के आवास निर्माण के उपयोग के लिए छोटे वाहन अर्थात् ट्रेक्टर आदि के माध्यम से रेत परिवहन/उपयोग के लिए छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम-3 के तहत रायल्टी एवं अन्य करों में छूट रहेगी। यह छूट उन्हीं ग्राम पंचायतों एवं आश्रित ग्रामों के लिए रहेगी जहां विधिवत रेत खदान स्वीकृत/संचालित है।

उपरोक्त नियमों का पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(एम.चंद्रशेखर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग

पृ0क0 / / 393 / 2024 / 12

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक

प्रतिलिपि :-

1. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-डी, द्वितीय तल, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. क्षेत्रीय प्रमुख, संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर/बिलासपुर/जगदलपुर, छत्तीसगढ़।
3. उप संचालक (ख.प्र.), खनि अधिकारी/सहायक खनि अधिकारी, जिलाध्यक्ष कार्यालय, जिला..... छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
खनिज साधन विभाग